

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं

कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।



राजमवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा)/C5-8(4)/2018
देहरादून : दिनांक 23 अगस्त, 2022

: आदेश :

एतद्वारा, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या-3610/जी०एस०(शिक्षा)/C5-8(4)/2018 दिनांक 28 फरवरी, 2022 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रो० दिनेश चन्द्र शास्त्री, प्रोफेसर-वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी सम-विश्वविद्यालय, हरिद्वार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

—/—

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : 1830 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/C5-8(4)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रो० दिनेश चन्द्र शास्त्री, प्रोफेसर-वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी सम-विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
8. कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी सम-विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
- ✓ 9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।